

**उत्तराखण्ड शासन**  
**वित्त अनुभाग-9**  
**संख्या- 01/XXVII(9)-2010/स्टाम्प-02/2010**  
**देहरादून: दिनांक: 08 मार्च, 2010**

**अधिसूचना**

राज्यपाल साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 अधिनियम संख्या 16, सन् 1908 की धारा 5 व 7 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचना संख्या एस0आर0-1057/दस-312(273)/70 दिनांक 23 अप्रैल, 1980 में आंशिक उपान्तर करके विलेखों के पंजीकरण हेतु जिला ऊधमसिंह नगर के उप-जिला काशीपुर की सीमाओं में परिवर्तन करके जिला ऊधमसिंह नगर में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से नया उप-जिला जसपुर बनाते हैं और उप-जिला जसपुर की सीमाओं को जैसा कि नीचे अनुसूची स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं:-

**:: अनुसूची ::**

क्र0सं0	नये उप जिले का नाम	उप जिले की सीमायें
1.	जसपुर	जसपुर की राजस्व तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र

**(एल0एम0 पन्त)**  
सचिव।

पत्रांक : 77/01(1) XXVII(9)-2010/स्टाम्प-02/2010, तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 50-50 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
5. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(एल0एम0 पन्त)**  
सचिव।